



संख्या—cm-294
02/06/2020

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव के लिये किये जा रहे कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की, मुख्यमंत्री के निर्देश

- सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क और साबुन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों, रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडर्स और जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उनके बीच भी मास्क का वितरण निःशुल्क किया जाय।
- होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के तनिक भी लक्षण दिखें तो उनके परिवार या आसपास के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान पर जरूर सूचित करें। इससे परिवार, गाँव एवं पूरा समाज सुरक्षित रह सकेगा।
- पल्स पोलियो की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग के दूसरे चरण में 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही उनकी टेस्टिंग भी प्राथमिकता के आधार पर करायी जाय क्योंकि उनमें संक्रमण से खतरा अधिक है।
- संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुये चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ-साथ प्रोटोकॉल के अनुरूप आइसोलेशन वार्ड्स एवं बेड्स की संख्या बढ़ायें।
- बाहर से आने वाले अधिकांश श्रमिक बिहार आ चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनका बिहार के किसी भी बैंक में खाता संधारित नहीं है। बिहार वापस आ चुके ऐसे लोगों के खाते खुलवाकर उन्हें भी 1,000 रुपये की राशि शीघ्र हस्तांतरित की जाय। साथ ही जिन

श्रमिकों का आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाया हो, उनका आधार कार्ड भी जल्द बनवा दिया जाय।

- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जनहित में वृहत जागरूकता अभियान चलाया जाय। सभी लोग मास्क के प्रयोग के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोग सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के प्रतिनिधियों के सहयोग से जन-जन तक जागरूकता अभियान चलाया जाय।
- जागरूकता अभियान में 4 बिन्दुओं पर विशेष देने ध्यान की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का उपयोग, लक्षण दिखने पर बिना छिपाये तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर सूचित करना तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देकर उन्हें सुरक्षित रखना।
- जो लोग क्वारंटाइन सेंटर पर क्वारंटाइन की निर्धारित अवधि पूरी कर या अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे हैं, लोग उनके प्रति सकारात्मक रहें, साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों पर भी ध्यान दें।
- भीड़भाड़ एवं बाजार वाले इलाकों में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझते हुये लोग वर्तमान परिस्थिति में और सजग एवं सचेत रहें। संक्रमित लोग स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं इसलिये कोरोना संक्रमण से घबरायें नहीं, धैर्य रखें।

पटना, 02 जून 2020 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 से बचाव के लिये किये जा रहे कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क और साबुन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुये कहा कि शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों, रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडर्स और जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उनके बीच भी मास्क का निःशुल्क वितरण कराया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के तनिक भी लक्षण दिखें तो उनके परिवार या आसपास के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान पर जरूर सूचित करें। इससे परिवार, गाँव एवं पूरा समाज सुरक्षित रह सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पल्स पोलियो की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग के दूसरे चरण में 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही उनकी टेस्टिंग भी प्राथमिकता के आधार पर करायी जाय क्योंकि उनमें संक्रमण से खतरा अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जनहित में वृहत जागरूकता अभियान चलाया जाय। सभी लोग मास्क के प्रयोग के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोग सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के प्रतिनिधियों के सहयोग से जन-जन तक जागरूकता अभियान चलाया जाय। जागरूकता अभियान में 4 बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का उपयोग, लक्षण दिखने पर बिना छिपाये तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर सूचित करना तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देकर उन्हें सुरक्षित रखना।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुये कहा कि संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुये चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ-साथ प्रोटोकॉल के अनुरूप आइसोलेशन वार्ड्स एवं बेड्स की संख्या बढ़ायें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले अधिकांश श्रमिक बिहार आ चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनका बिहार के किसी भी बैंक में खाता संधारित नहीं है। उन्होंने निर्देश देते हुये कहा कि बिहार वापस आ चुके ऐसे लोगों के खाते खुलवाकर उन्हें भी 1,000 रुपये की राशि शीघ्र हस्तांतरित की जाय। साथ ही जिन श्रमिकों का आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाया हो, उनका आधार कार्ड भी जल्द बनवा दिया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर पर क्वारंटाइन की निर्धारित अवधि पूरी कर या अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे हैं, लोग उनके प्रति सकारात्मक रहें, साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों पर भी ध्यान दें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भीड़भाड़ एवं बाजार वाले इलाकों में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। लोगों से अपील करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझते हुये लोग वर्तमान परिस्थिति में और सजग एवं सचेत रहें। संक्रमित लोग स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं इसलिये कोरोना संक्रमण से घबरायें नहीं, धैर्य रखें।
